भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1114**

दिनांक 09 मार्च, 2017 को उत्‍तर के लिए

**आंगनवाड़ियों के लिए राज्‍यवार अनुदान**

**1114. श्री मधुसूदन मिस्‍त्री :**

क्‍या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंगनवाड़ी कामगारों को राज्‍य-वार कितनी मासिक परिलब्‍धियां दी जाती है; और

(ख) राज्‍य-वार कितना अनुदान जारी किया गया है?

**उत्‍तर**

श्रीमती कृष्‍णा राज महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(क) : आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां और आंगनवाड़ी सहायिकाएं मानदेय कार्यकर्त्रियां हैं और उन्‍हें समय-समय पर सरकार द्वारा तय किया गया निश्‍चित मासिक मानदेय दिया जाता है। वर्तमान में, आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्‍ल्‍यूसी) की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को दिनांक 01.04.2011 से 3000/- रुपये और 1500/- रुपये की दर से प्रत्‍येक माह मानदेय का भुगतान किया जाता है। लघु आंगनवाड़ी केंद्रों की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को दिनांक 04.07.2013 से 2250/- की दर से मासिक मानदेय का भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्‍त, अधिकांश राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को **अनुलग्‍नक-।** पर दिए गए विवरण के अनुसार उन्‍हें समय-समय पर सौंपे गए किसी अतिरिक्‍त कार्य के लिए अपने अपने संसाधनों से भुगतान करते हैं।

(ख) : आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को मानदेय का भुगतान समेकत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) (सामान्‍य) के अंतर्गत निर्मुक्‍त की गई निधि से वहन किया जाता है। आईसीडीएस (सामान्‍य) के अंतर्गत राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को निर्मुक्‍त किए गए अनुदानों का ब्‍यौरा **अनुलग्‍नक -।।** में दिया गया है।

\*\*\*\*

**अनुलग्‍नक –I**

**''आंगनवाड़ियों के लिए राज्‍यवार अनुदान'' विषय पर श्री मधुसूदन मिस्‍त्री द्वारा दिनांक 09 मार्च, 2017 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1114 के उत्‍तर के भाग (क) में संदर्भित विवरण**

**राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को समय-समय पर सौंपे गए किसी अतिरिक्‍त कार्य के लिए अपने अपने संसाधनों से भुगतान को दर्शाने वाला विववण (दिनांक 31.12.2016 तक )**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **क्र.सं.**  | **राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र**  | **राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों द्वारा दिए जाने वाला अतिरिक्‍त मानदेय (रुपये में)** |
| **आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री**  | **आंगनवाड़ी सहायिका**  |
|  | अंडमान एवं निकोबार | 3000 | 2500 |
|  | आंध्र प्रदेश | 1200 | 700 |
|  | अरुणाचल प्रदेश | शून्‍य  | शून्‍य  |
|  | असम | 1000 | 500 |
|  | बिहार | 750 | 375 |
|  | चंडीगढ़ | 2000 | 1000 |
|  | छत्तीसगढ़ | 1000 | 500 |
|  | दादर व नगर हवेली | 1000 | 600 |
|  | दमन और दीव | 1000 | 600 |
|  | दिल्ली | 2000  | 1000  |
|  | गोवा | 3062-11937\* | 3000-6000 |
|  | गुजरात | 1750 | 900 |
|  | हरियाणा | 2500 | 1000 |
|  | हिमाचल प्रदेश | 300 | 200 |
|  | जम्मू व कश्मीर | 600 | 340 |
|  | झारखंड | 1400 | 700 |
|  | कर्नाटक | 2000 | 1000 |
|  | केरल | 2000 | 2000 |
|  | लक्षद्वीप | 1600 | 1000 |
|  | मध्य प्रदेश | 2000 | 1000 |
|  | महाराष्ट्र | 2000 | 1000 |
|  | मणिपुर | 100 | 50 |
|  | मेघालय | शून्‍य  | शून्‍य  |
|  | ओड़िशा  | 1000 | 500 |
|  | पुद्दुचेरी | 600 | 300 |
|  | पंजाब | 2000 | 1000 |
|  | राजस्थान | 1724-1736\* | 1065 |
|  | सिक्किम | 2225 | 1500 |
|  | उत्तराखंड | 3000 | 1500 |
|  | पश्चिम बंगाल | 1300 | 1300 |
|  | उत्तर प्रदेश | 1000 | 500 |
|  | नागालैंड | शून्‍य  | शून्‍य  |
|  | मिजोरम | शून्‍य  | शून्‍य  |
|  | तमिलनाडु | 6750 (पे-2500, जीपी-500 और डीए-3750 सहित ) | 4275 (पे-1500, जीपी-400 और डीए 2375 सहित)  |
|  | तेलंगाना | 4000 (दिनांक 01.03.2015 से) | 3000(दिनांक 01.03.2015 से) |
|  | त्रिपुरा | 2865 | 1924 |

\* योग्‍यता और सेवा के वर्षों के आधार पर

**अनुलग्‍नक-II**

**''आंगनवाड़ियों के लिए राज्‍यवार अनुदान'' विषय पर श्री मधुसूदन मिस्‍त्री द्वारा दिनांक 09 मार्च, 2017 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1114 के उत्‍तर के भाग (ख) में संदर्भित विवरण**

**(रुपये लाखों में)**

|  |
| --- |
| वर्ष 2015-16 और 2016-17 (दिनांक 6.3.2017 तक) आईसीडीएस स्‍कीम के अंतर्गत राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को निर्मुक्‍त निधियां (आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/सहायिकाओं के मानदेय सहित)  |
|   |   |  2015-16 | 2016-17 upto 6.3.2017 |
|  | राज्‍य  | आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/सहायिकाओं के मानदेय सहित निर्मुक्‍त निधियां | आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/सहायिकाओं के मानदेय सहित निर्मुक्‍त निधियां |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 29903.77 | 14590.85 |
| 2 | बिहार | 31869.23 | 32823.24 |
| 3 | छत्तीसगढ़ | 16188.12 | 16921.47 |
| 4 | गोवा | 625.43 | 458.83 |
| 5 | गुजरात | 30862.36 | 24625.56 |
| 6 | हरियाणा | 10163.42 | 12893.84 |
| 7 | हिमाचल प्रदेश | 15191.05 | 8203.57 |
| 8 | जम्मू और कश्मीर | 22849.90 | 13150.22 |
| 9 | झारखंड | 27300.88 | 13325.75 |
| 10 | कर्नाटक | 36236.35 | 16235.33 |
| 11 | केरल | 18264.67 | 10254.53 |
| 12 | मध्य प्रदेश | 47019.97 | 31629.71 |
| 13 | महाराष्ट्र | 62704.71 | 58533.84 |
| 14 | ओड़िशा | 24195.11 | 38085.80 |
| 15 | पंजाब | 10120.80 | 11246.52 |
| 16 | राजस्थान | 25556.94 | 17726.76 |
| 17 | तमिलनाडु | 36251.13 | 15731.91 |
| 18 | उत्तराखंड | 11491.10 | 12043.25 |
| 19 | उत्तर प्रदेश | 69995.93 | 95627.23 |
| 20 | पश्चिम बंगाल | 35748.46 | 27805.02 |
| 21 | तेलंगाना | 18357.03 | 9654.88 |
| 22 | दिल्ली | 6723.78 | 6560.79 |
| 23 | पुद्दुचेरी  | 1333.23 | 590.87 |
| 24 | अंदमान और निकोबार | 1142.59 | 934.06 |
| 25 | चंडीगढ़ | 884.69 | 404.57 |
| 26 | दादर और नगर हवेली  | 148.59 | 274.35 |
| 27 | दामन और दीव  | 93.31 | 100.38 |
| 28 | लक्षद्वीप  | 86.54 | 59.19 |
| 29 | अरुणाचल प्रदेश | 8585.96 | 4295.76 |
| 30 | असम | 56936.62 | 41463.08 |
| 31 | मणिपुर | 6766.17 | 4928.86 |
| 32 | मेघालय | 4720.59 | 4973.09 |
| 33 | मिज़ोरम | 3618.97 | 1999.35 |
| 34 | नागालैंड  | 6982.73 | 1925.38 |
| 35 | सिक्‍किम  | 1551.68 | 768.68 |
| 36 | त्रिपुरा | 9284.88 | 4872.25 |
|   | कुल योग | 689756.70 | 555718.77 |